

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
 गृह मंत्रालय, भारत सरकार,

विषय: सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु।

भवदीय,

निम्न विषयों के संदर्भ में कृपा कर जानकारी देने की कृपा करें।

- (1.) भारत सरकार द्वारा देश के कितने धार्मिक स्थलों को [मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा] सुरक्षा प्रदान की गई है। तथा यह सुरक्षा किस कानून के अन्तर्गत प्रदान की गई है।
- (2.) सुरक्षा में कितने केन्द्रीय सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस रिजर्व व अन्य जवान लगे हुए हैं इनकी संख्या कितनी है।
- (3.) कुल कितना खर्च भारत सरकार को इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में वहन करना पड़ रहा है।
- (4.) क्या भारत सरकार को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने से पूर्व संसद की या माननीय महामहिम (राष्ट्रपति) की अनुमति लेने की आवश्यकता है।
- (5.) क्या भारत सरकार को सुरक्षा बल के जवानों को इस कार्य में [धार्मिक स्थलों की सुरक्षा] दिनांक जाने वाले वेतन की अनुमति का प्रावधान वापिस पत्र में उल्लेखित या का कैबिनेट के पास इस प्रकार का कोई प्रावधान है जिसके अन्तर्गत इनके वेतन का सुगमन किया जाता है।

(6.) क्या अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि, एवं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि एवं काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री 0 सुरक्षा मिली हुई है या नहीं यदि हाँ तो राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा तथा इस पर कितना व्यय अब तक हो चुका है।

(7.) बिन्दु 6 में वाणिज्य धार्मिक स्थलों पर कितने सुरक्षा जवान कार्य पर हैं तथा प्रतिवर्ष इन पर कितना व्यय हो रहा है।

(8.) क्या भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में श्री इस संबंध में [धार्मिक स्थलों की सुरक्षा] कोई विशेष प्रावधान है तथा वहाँ कितने धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान की गई है उनके नाम एवं उनके लिए ईनात सुरक्षा बलों की संख्या एवं व्यय की जानकारी लिखित में दी जाए।

(9.) उपरोक्त 8 बिन्दुओं की जानकारी लिखित में प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक

27/12/2013.

प्रेषक

जीरूष शर्मा पथनं.

- 4) B-9, जमुना नगर
सोडाला, जयपुर
राजस्थान।

Sl. No. 18(I)

37

R.T.I. MATTER
REGISTERED POST

No. III-11039/30/2014-G
GOVERNMENT OF INDIA / BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS / GRIH MANTRALAYA

North Block, New Delhi – 110 001.
dated : 14 February, 2014.

To,

gbl) 3
Piyush Sharma,
Path No. 4, B-9,
Yamuna Nagar, Sodala,
Jaipur, Rajasthan – 302019.


Subject : Application under Right to Information Act, 2005 dated 27.12.2013.

Sir,

The RTI application dated 27.12.2013 filed by Shri Piyush Sharma under RTI Act-2005, was forwarded to the undersigned by Shri S. Samant, Under Secretary (RTI Cell), MHA vide his O.M. No. A-43020/01/2014-RTI dated 07.02.2014.

2. The Application has been examined in the Ministry. It is intimated that the information sought vide above RTI Application, are not available with the CPIO. The subject matter is more closely related to the functions of the **PP Division, MHA**. The application is, therefore, being transferred to Shri Girish Kumar, Director (VS) & CPIO under the provisions of Section 6 (3) of RTI Act-2005 for furnishing the information.

3. Appeal in the matter within prescribed time limit may be filed with Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Joint Secretary (Police-II) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi - 110001.



Yours faithfully

(SHANTANU)

Director (Personnel) & CPIO

☎ : 2309 2933

C/c

- gbl) 3
1. Shri Girish Kumar, Director (VS) & CPIO, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi – The above RTI Application alongwith Receipt (in original) is being transferred under the provisions of Section 6 (3) of RTI Act-2005 for furnishing information directly to the applicant.

2. Master Folder